

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 147 / 2023

उनवान

1- भंवर लाल पिता उदेयराम जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

- 1-बाबुलाल पिता मांगु जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
- 2-सीताराम पिता मांगु जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 3-भैरूलाल पिता मांगु जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
- 4-रामेश्वर लाल पिता देबीलाल जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 5-दुर्गादेवी पत्नि रामेश्वर जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 6-भगवान लाल पिता उदेराम जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 7-देबीलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 8- मथरी पत्नि मांगु जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 9- भगवान लाल पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 10- बंशीलाल पिता केलाराम जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 11-गोविन्द पिता मोडिराम जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा
(राज.)
- 12-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 06.02.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 17.11.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू०अ०नि० क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 958 की आ.न. 2584/481 रकबा 0.2656है०, आ.न. 2587/457 रकबा 0.0738है०, आ.न. 2589/475 रकबा 0.0400है०, आ.न. 448 रकबा 0.2023है०, आ.न. 449 रकबा 0.1012है०, आ.न. 450 रकबा 0.0885है०, आ.न. 451 रकबा 0.2023है०, आ.न. 462 रकबा 0.3161है०, कुल किता 08 रकबा 1.2898 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.11.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू0अ0नि0 क्षेत्र हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 958 की आ.न. 2584/481 रकबा 0.2656है0, आ.न. 2587/457 रकबा 0.0738है0, आ.न.2589/475 रकबा 0.0400है0, आ.न. 448 रकबा 0.2023है0, आ.न. 449 रकबा 0.1012है0, आ.न. 450 रकबा 0.0885है0, आ.न. 451 रकबा 0.2023है0, आ.न. 462 रकबा 0.3161है0, कुल किता 08 रकबा 1.2898 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(सुशीला कुमार सैनी)
उपसुड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)